खंड 1 संख्या 134

राष्ट्र महिला

सितम्बर 2010 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने विधि मंत्रालय से आग्रह किया है कि भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके दहेज उत्पीड़न को एक समझौता योग्य अपराध घोषित कर दिया जाये। इससे दोनों विरोधी पक्षों को अपने मतभेद न्यायालय के बाहर तय करने का अवसर मिलेगा।

उच्चतम न्यायालय के पास पहले ही भारी संख्या में मामले लम्बित हैं। इस संशोधन से उसे दहेज के मामलों की सुनवाई से राहत मिलेगी क्योंकि विवादग्रस्त परिवार जो आपसी बातचीत द्वारा मामला तय करना चाहते हैं ऐसा कर सकेंगे, किन्तु अभी भारतीय दंड संहिता उन्हें इसकी अनुमति नहीं देती।

यदि न्यायालय के सुझाव को स्वीकार कर भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर दिया जाता है तो दहेज उत्पीड़न एक ऐसा अपराध बन जायेगा जिसका निबटारा दोनों पक्ष किसी न्यायालय की आज्ञा के बिना आपस में कर सकते हैं।

इस समय भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत दहेज उत्पीड़न एक गैर-जमानती, गैर समझौता योग्य अपराध

चर्चा में

दहेज संबंधी मामलों का निबटारा न्यायालय के बाहर

है जिसका अर्थ है कि एक बार मामला दर्ज होने पर इसे वापस नहीं लिया जा सकता।

परन्तु मामला यदि न्यायालय तक पहुँच जाये तो दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है।

उच्चतम न्यायालय के सुझाव में राष्ट्रीय महिला आयोग की परियोजना 'परिवार बचाओ, घर बचाओ' की झलक मिलती है। इस परियोजना का ध्येय असाध्य विवाह विच्छेद को मुकदमे की बजाय समझौते और मध्यस्थता द्वारा तय करना है।

उच्चतम न्यायालय ने विधि आयोग तथा केन्द्र सरकार से यह निवेदन किया है कि इस बात की जाँच करें कि ऐसे विवादग्रस्त पक्षों की सहायतार्थ जो दहेज संबंधी मामलों को आपसी बातचीत द्वारा तय करना चाहते हैं क्या भारतीय दंड संहिता में कोई उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है।

यदि उच्चतम न्यायालय का सुझाव स्वीकार कर लिया जाये तो न्यायालयों से बहुत से मामलों का भार कम हो जायेगा और अनेक परिवार टूटने से बच जायेंगे।

अर्चना सरदना का आयोग में आगमन

भारत की प्रसिद्ध महिला आकाश-गोताखोर सुश्री अर्चना सरदना हाल ही में अपने माता-पिता के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग आयीं। वह अब तक आकाश में 25 छलांगें लगा चुकी हैं और अब एवरेस्ट की चोटी के पास 29,000 फीट की ऊँचाई से कूद कर शियांगबोच हवाई अड्डे पर 12,000 फीट नीचे उतरने की दिलेरी करना चाहती हैं।

सुश्री अर्चना सरदना आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास के साथ

विवाह एवं दहेज कानूनों पर परामर्श

नाबालिग लड़कियों और लड़कों के विवाहों की वैधता के बारे में न्यायालयों द्वारा दिए गये परस्पर विरोधी निर्णयों से इस बात पर बड़ी भ्रान्ति पैदा हो गयी है कि ऐसे विवाह वैध हैं या अवैध। भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के बारे में भी संशय है।

उपरोक्त की दृष्टि में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में विवाह तथा दहेज संबंधी कानूनों के बारे में एक परामर्श का आयोजन किया।

विद्यमान कानून के अनुसार, लड़कियों की विवाह-योग्य आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है। परन्तु कुछ मामलों में

परामर्श में (बायें से) संयुक्त सचिव सुश्री एस.एस. पुजारी, सुश्री यास्मीन अब्रार, डॉ. गिरिजा व्यास, सदस्य सचिव सुश्री जोहरा चटर्जी, सुश्री कीर्ति सिंह

परामर्श में भागीदार

उपरोक्त आयु से कम के विवाहों को अधिनियम के अंतर्गत अवैध नहीं ठहराया गया है।

इसलिए आयोग ने बाल विवाह निषेध अधिनियम पर पुनः दृष्टि डालने का निर्णय लिया। लड़कों तथा लड़कियों की विवाह योग्य आयु पर मतैक्य बनाने के लिए आयोग ने गैर सरकारी संगठनों, महिला कार्यकर्ताओं तथा बुद्धिजीवियों से परामर्श किया।

परामर्श का प्रारम्भ करते हुए सदस्य-सचिव सुश्री जोहरा चटर्जी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि विवाह योग्य आयु की समता के बारे में भ्रान्ति होने के कारण यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा हो ताकि मतैक्य बन सके। इस बारे में आगे की कार्यवाही के लिए परामर्श की सिफारिशें सरकार को भेजी जायेंगी।

राष्ट्रीय परामर्श के बाद कई हितबद्ध लोगों का सुझाव आया कि लड़का-लड़की दोनों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु राष्ट्रीय महिला आयोग का मनना है कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा और लड़कों के लिए 21 वर्ष की आयु सीमा जारी रहनी चाहिए। नाबालिगों के बीच विवाहों के बारे में आयोग ने महसूस किया कि जबदरस्ती किए गये बाल विवाह तथा अन्य में जोकि युगल की मर्जी से किए हैं, भेद किया जाना चाहिए।

पहले परामर्श से निकले सुझाव इस प्रकार हैं :-

1. बाल-विवाहों के पहलुओं में भेद करने की आवश्यकता है - एक ओर तो वे विवाह जो जबरदस्ती किए गये हैं, दूसरी ओर वे जो अपनी मर्जी से हुए हैं। युवाओं के बीच अपनी मर्जी से किए गये विवाहों के अनेक मामले हैं और इसलिए 16/18 वर्ष की आयु सीमा बने रहने के मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए ताकि एक निर्धारित सीमा तक ऐसे युगलों को

राहत दी जा सके जिन पर विभिन्न कानूनी धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और जो नारी निकेतनों आदि में रहने के लिए मजबूर हैं।

2. एक कतिपय आयु से नीचे का विवाह बिल्कुल अवैध ठहरा दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर भी गंभीर रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यदि लड़कियों का विवाह बहुत कम आयु में कर दिया जाता है तो इसका उनके स्वास्थ्य तथा विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे माँ बनने या पत्नी की भूमिका निभाने योग्य नहीं होतीं।
3. विवाह के अनिवार्य पंजीकरण संबंधी कानून के तुरंत तथा प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है क्योंकि कम आयु के विवाहों को रोकने में इससे सहायता मिलेगी।
4. बाल विवाहों के बारे में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को परखने की आवश्यकता है।

बाद में, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के कथित दुरुपयोग के बारे में चर्चा हुई कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं। विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित सिफारिशें सामने आयीं:

1. यह प्रावधान महिलाओं की संरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह पहला कानून है जो महिलाओं पर भावात्मक तथा मानसिक हिंसा को ध्यान में लेता है।
2. आयोग महसूस करता है कि इस प्रावधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस कर्मियों को बेहतर रूप से संवेदीकृत किया जाये।
3. धारा 498क के अंतर्गत मामला दर्ज किए जाने की अपेक्षा समझौते और मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के सहयोग में एक परियोजना की शुरूआत की है जिसका नाम हे 'घर बचाओ, परिवार बचाओ' और इस परियोजना को अच्छी सफलता मिली है। ऐसे प्रयास अन्य राज्यों में भी प्रारंभ किए जाने चाहिए।
4. राष्ट्रीय महिला आयोग को नवीनतम न्याय निर्णयों की एक परामर्शी राज्य सरकारों को भेजनी चाहिए और पुलिस अकादमियों से संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने को कहना चाहिए।

घरेलू हिंसा पर सम्मेलन

हाल ही में अगरतला में 'घर बचाओ, परिवार बचाओ' विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्थानीय स्व-शासन के निर्वाचित नेताओं, पुलिस अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या वानसुक सयीम ने कहा कि भारत में प्रति 3 मिनट एक महिला पर घरेलू हिंसा किए जाने का मामला दर्ज किया जाता है और प्रति 29 मिनट एक महिला का बलात्कार होता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा '7,600 से अधिक महिलाओं की प्रतिवर्ष इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उनके ससुरालियों की नजर में उनके द्वारा लाया गया दहेज अपर्याप्त है और हत्यारों का बहुत कम प्रतिशत सजा पाता है। भारत में प्रतिदिन कम से कम 50 दहेज संबंधी मामले दर्ज होते हैं।

सुश्री सयीम ने कहा कि कई कानूनों, संवेदनशील समाज, सक्रिय पुलिस कार्यवाही और सेमीनारों तथा जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजनों के बावजूद, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर कोई लगाम नहीं लग रही है।

आयोग की संयुक्त सचिव एस.एस. पुजारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए पांच स्तम्भों को सक्रिय होना चाहिए। ये हैं अच्छे कानून, कानूनों का उचित क्रियान्वयन, न्यायपालिका, सिविल समाज, गैर सरकारी संगठन और मीडिया।'

उन्होंने आगे कहा कि 'महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और कौशल विकास उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं।'

त्रिपुरा के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल के. नागराज ने श्रोताओं को बताया कि 'विधि मंत्रालय तथा अन्य हितार्थियों की मंत्रणा के साथ पुलिस ने महिलाओं के प्रति हुए ऐसे अपराधों की सूची तैयार की है जो त्वरित न्यायालयों द्वारा निबटाए जायेंगे।'

उन्होंने आगे कहा कि 'महिलाओं पर होने वाले कुछ जघन्य अपराधों के लिए उदाहरणीय दंड दिया जाना आवश्यक है और ऐसे मामलों को जल्द निबटाया जाना चाहिए।'

● न्यायालय ने गर्भवती महिलाओं की उपस्थिति की कमी माफ कराई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से दो विधि छात्राओं की उपस्थिति की कमी को माफ किए जाने को कहा है क्योंकि गर्भ की अग्रिम अवस्था में होने के कारण वे कक्षा में अपेक्षित उपस्थिति नहीं रख सकीं।

विश्वविद्यालय ने दोनों छात्राओं को अंतिम सेमिस्टर की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी थी।

यह महत्वपूर्ण निर्णय केवल दिल्ली विश्वविद्यालय पर ही लागू नहीं होता अपितु सम्पूर्ण देश में महिला छात्राओं की ऐसी स्थिति में इसका हवाला दिया जा सकता है।

न्यायालय ने भारतीय विधि परिषद से महिला छात्राओं के लिए मातृत्व के आधार पर राहत देने वाले नियम बनाने को कहा है ताकि गर्भवती होने के कारण उन्हें एलएलबी की परीक्षा देने से रोका नहीं जाये।

● प्रेमासिक्तों के मददगार

इस समय 2000 वकीलों, पत्रकारों, प्रोफेसरों, एक्टरों, विद्यार्थियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह चौबीसों घंटे एक हेल्पलाइन 9313784875 पर उपलब्ध है जो उन परेशान जोड़ों की सहायता करता है जो अपने माता-पिता की मर्जी के विरुद्ध विवाह करना चाहते हैं।

हाल ही में उन्होंने कपूरथला, पंजाब, की एक 28 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को छुड़ाया जिसे उसके माता-पिता ने एक महाजन परिवार के लड़के से प्रेम करने के विरोध में बहुत मारा-पीटा था और फिर ताले में बंद कर दिया था। उसे डॉक्टरी इलाज तथा पुलिस की सहायता के लिए दिल्ली लाया गया क्योंकि राज्य के अधिकारी सहायता नहीं कर रहे थे।

● पत्नी अपने पति की महिला मित्र पर क्रूरता का आक्षेप नहीं लगा सकती : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कोई पत्नी अपने पति की महिला मित्र पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत मानसिक क्रूरता करने का आरोप नहीं लगा सकती, भले ही यह क्यों न पाया गया हो कि पति से विरक्ति के बाद वह महिला मित्र उसके साथ रह रही थी। अधिक से अधिक, यह स्थिति तलाक का आधार बन सकती है।

न्यायालय ने कहा कि 'इस धारा के अंतर्गत, केवल पति या उसके रिश्तेदारों पर जिन्होंने उस पर क्रूरता की है आरोप लगाया जा सकता है।' यदि उस महिला का पति के साथ खून का या विवाह का रिश्ता नहीं है, तो धारा 498क लागू नहीं होती। यद्यपि विवाह विच्छेद के लिए या अलग होने के लिए यह कृत्य वैवाहिक कानूनों के अंतर्गत क्रूरता माना जा सकता है, तथापि धारा 498क को, जो केवल रिश्तेदारों पर लागू होती है, इस धारा को आरोपित नहीं किया जा सकता।'

● माताओं के लिए दो वर्ष का अवकाश लेना आसान हुआ

पुरुष प्रधान सरकारी नौकरियों में लिंग समानता लाने के लिए, सरकार ने दो वर्ष के अर्जित अवकाश को जिसके लिए महिलाएं अधिकारी हैं शिशु देखभाल के अवकाश से अलग कर दिया है।

अब महिलाएं शिशु देखभाल के लिए 730 दिन का अवकश तब भी ले सकती हैं जबकि उनका अर्जित अवकाश शेष नहीं हो।

अब तक सरकारी नौकरी कर रही महिलाएं शिशु देखभाल के लिए कुल 730 दिन का शिशु देखभाल अवकाश अपनी नौकरी के दौरान दो शिशुओं तक की देखभाल के लिए ले सकती थीं - चाहे तो उनके पालन-पोषण के लिए या परीक्षाओं, बीमारी आदि के लिए - किन्तु उसी दशा में जब कि उनका अर्जित अवकाश न बचा हो।

बहुत सी महिला कर्मचारियों तथा उनके संघों ने शिशु देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के साथ मिलाने पर रोष व्यक्त किया था।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।